राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1725/2013/उदयपुर

मै0 रितु मार्बल,
336 हिरणमगरी सेक्टर–4,उदयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिजियक कर अधिकारी,
वार्ड–षष्ठम, वृत बी, उदयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता,
अधिकृत अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/09/2015

निर्णय

अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर,उदयपुर जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा, के प्रकरण संख्या 176/12–13/कर/उपा(प्र.)उदय में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ, वृत–बी, उदयपुर जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा, द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2009 को खोले जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार किया गया है।

. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी का वर्ष 2006–07 का एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.03.2009 को किया गया था जिसे राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 जिसे आगे "वेट अधिनियम" कहा जायेगा, की धारा 24(3),55,58 में पारित किया, की धारा 34 के तहत खोला जाकर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु उपायुक्त(प्रशासन) के समक्ष निवेदन किया, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन को उपायुक्त (प्रशासन) ने अस्वीकार कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया था जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश पारित करने से पूर्व कोई सूचना पत्र अपीलार्थी को विधिवत तामिल नहीं कराया है, इसके अलावा भी अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पूर्व में आदेश पारित करने से पूर्व अपना पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र भी, कर निर्धारण अधिकारी को पेश किया गया जिस पर भी उन्होंने कोई गोर नहीं किया था ओर एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया था। उपायुक्त(प्रशासन) ने भी बिना उचित कारण बताये उनके आवेदन अन्तर्गत धारा 34

18-9-2015

लगातार.....2

को अपास्त किया है। अपने तर्क के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत अधिवक्ता ने कर बोर्ड द्वारा पारित मै0 बया सीमेंट सप्लायर्स, उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, उदयपुर निर्णय दिनांक 20.01.2014 तथा मै0 अनुपम कृषि यंत्रालय बांसवाड़ा बनाम सहायक आयुक्त,बांसवाड़ा निर्णय दिनांक 04.02.2015 आदि निर्णयों का हवाला देते हुए, अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी एवं उपायुक्त(प्रशासन) के आदेशों को उचित बताते हुए, अपील खारिज किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वैट अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन किया गया। उपायुक्त(प्रशासन) वाणिजियक कर, उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 16.08.2013 में लिखा है कि **"आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 34 राजस्थान वैट अधिनियम,2003 का दिनांक 11.03.2013 को कार्यालय उपायुक्त(प्रशासन) उदयपुर में प्रस्तुत किया है में प्रार्थी फर्म की ओर से यह निवेदन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस फर्म से संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2006–07 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.03.2009 को पारित किया हैं एवं मांग राशि रू0 3,00,000/– कायम की गई हैं। अतः प्रार्थी फर्म को सुनवाई के बाद नये सिरे से गुणावगुणों पर कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रकरण को पुनः खोलने के आदेश दिये जावे। प्रार्थी फर्म द्वारा प्रस्तुत इस आवेदन पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी से टिप्पणी आमंत्रित की गई।**

कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन एवं व्यवसायी की ओर से उपस्थित को सुना गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली पर व्यवसायी को अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस भेजा जाना पत्रावली पर स्पष्ट है। उक्त आधार पर व्यवसायी को कर निर्धारण हेतु एक मौका दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है"।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थी फर्म का कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.03.2009 को एकपक्षीय पारित किया था जिसे पुनः खोलने बाबत प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा अपील की गई थी जो कि उसकी मांग उचित थी। न्याय का भी यही तकाजा है कि पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये। अपील आदेश में लिखा गया है कि उपस्थित प्रतिनिधी द्वारा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया जो अपीलीय अधिकारी का निर्णय सही नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने जो सूचना भेजना बताया है वह किसे व किस पद के व्यक्ति को मिली, स्पष्ट नहीं है। प्रथम दृष्ट्या नोटिस की उचित तामील प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.02.2013 कर निर्धारण अधिकारी, उदयपुर को प्रेषित किया गया है जिसमें अंकित है कि उसे कर निर्धारण आदेश ही प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अधिनियम की धारा 34 के तहत उक्त प्रकरण खोले जाने योग्य था लेकिन उपायुक्त(प्रशासन) ने उक्त आधारों के समुचित कारण बताते हुए आवेदन अस्वीकार किया, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। इस कारण अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 16.08.2013 को अपास्त कर, प्रकरण पुनः कर

18-9-2015

लगातार.....3

निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी व्यवसायी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार विधिक आदेश पारित करे। अपीलार्थी व्यवसायी को भी निर्देशित किया जाता है कि वह **दिनांक 04.11.2015** को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष, समस्त संबंधित रेकार्ड सहित उपस्थित होकर, अपना पक्ष प्रस्तुत करे तथा कर निर्धारण अधिकारी नियमानुसार प्रकरण का निष्पादन करे।

फलतः अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण उपरोक्त निर्देशों के साथ पुनः सुनवाई हेतु, कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

18-9-2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य